

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT



Ref. No. Affil./ 2090

Dated : 20.9.2014

To WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that SH. DRONA CHARYA DEGREE COLLEGE, KALANDI MARGE, DANKAUR, GAUTAMBUDH NAGAR is affiliated to the Ch. Charan Singh University, Meerut since 2005 and recognized by NCTE, Jaipur & University Grants Commission (2f) and the following courses/subjects are taught in said college as per approval.

Sl.No.	Courses	Affiliation
1	B.Ed	Permanent
2	B.B.A.	Permanent
3	B.C.A.	Permanent
4	B.A.	Permanent
5	B.Com	Permanent
6	B.Sc	Permanent
7	M.A.(Hindi)	Permanent
8-	M.A. (English)	Permanent


Registrar

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ-227132

संख्या-ई.स. 1138 / जी.एस.
दिनांक: 11 / 8 / 2006

प्रेषक,
श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।
सेवा में,
कुलसचिव,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।
महोदय,

आपके पत्रांक: सम्बद्धता/१०६७ दिनांक १६-०५-२००५ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१६७३ की धारा-३७ (२) के अधीन श्री द्रोणाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दनकौर, गौतमबुद्ध नगर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकायान्तर्गत हिन्दी एवं अंग्रेजी विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१-०७-२००५ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-


- १- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- २- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१६७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- २- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- ३- प्रबन्धक/प्राचार्य, श्री द्रोणाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दनकौर, गौतमबुद्ध नगर।


(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/3234
दिनांक : 31/07/2018

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन श्री **दोणाचार्य (पी0जी0) कालेज दनकौर, गौतमबुद्धनगर** को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर **बी0काम0 (अतिरिक्त)** पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2017 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र राक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 21.06.2017 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार श्री **दोणाचार्य (पी0जी0) कालेज दनकौर, गौतमबुद्धनगर** को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर **बी0काम0 (अतिरिक्त)** में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2017 से सम्बद्धता की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, श्री दोणाचार्य (पी0जी0) कालेज दनकौर, गौतमबुद्धनगर।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ
4. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु

कुलसचिव

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/2960
दिनांक : 9.10.2018

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन श्री दोणाचार्य (पी0जी0) कालेज दनकौर, गौतमबुद्धनगर को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान, एवं चित्रकला) (अतिरिक्त) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2017 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 21.06.2017 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार श्री दोणाचार्य (पी0जी0) कालेज दनकौर, गौतमबुद्धनगर को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान, एवं चित्रकला) (अतिरिक्त) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2017 से सम्बद्धता की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, श्री दोणाचार्य (पी0जी0) कालेज दनकौर, गौतमबुद्धनगर।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

कुलसचिव

11
15

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक :-सम्बद्धता/ 1893

दिनांक: 05.11.2003

सेवा में,
प्राचार्य,
श्री द्रोणाचार्य डिग्री कालेज, दनकौर,
गौतमबुद्धनगर।
महोदय,

कृपया शासन के पत्रांक संख्या ई0स0/2383 /जी0एस0 दिनांक 10, सितम्बर, 2003 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा माननीय कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा निर्दिष्ट परन्तुक के अधीन श्री द्रोणाचार्य डिग्री कालेज, दनकौर, गौतमबुद्धनगर को स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र, तथा स्नातक स्तर पर ही विज्ञान संकाय में भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा गणित विषयों में दिनांक 01.07.2003 से आगामी तीन वर्ष की अवधि हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

01. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्रावधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. संस्था/महाविद्यालय प्रपत्र बी0 में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम संख्या 13.22 के अनुपालन में कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
03. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - 2851 /सत्तर -2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2, जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा - निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्ण रूपेण परिपालन किया जा रहा है।
04. यदि संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपरोक्त स्वीकृति के अनुपालन में कुलपति जी द्वारा उपरोक्त महाविद्यालय को कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र, तथा स्नातक स्तर पर ही विज्ञान संकाय में भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा गणित विषयों में दिनांक 01.07.2003 से उपरोक्त शर्तों के अधीन आगामी तीन वर्ष की अवधि हेतु सम्बद्धता प्रदान कर दी है।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/ 335
दिनांक : 21.11.2011

सचिव,
श्री द्रोणाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
दनकौर (गौतमबुद्ध नगर)

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या सम्ब0-355/सत्तर-2-2011-2(355)/2011, दिनांक 29.09.2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन श्री द्रोणाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दनकौर (गौतमबुद्ध नगर) को बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों/विषय (60-60 सीट) में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2011 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार श्री द्रोणाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दनकौर (गौतमबुद्ध नगर) को बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों/विषय (60-60 सीट) में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2011 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में अत्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
3. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक :-सम्बद्धता/ ११२-

दिनांक: 03.08.2004

सेवा में,

प्राचार्य,
श्री द्रोणाचार्य डिग्री कालेज,
दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

महोदय,

कृपया शासन के पत्रांक संख्या ई0स0/4023/जी0एस0 दिनांक 16.06.2004 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा माननीय कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा निर्दिष्ट परन्तुक के अधीन श्री द्रोणाचार्य डिग्री कालेज, दनकौर, गौतमबुद्धनगर को स्नातक स्तर पर कला संकाय में गृह विज्ञान एवं चित्रकला विषयों में तथा वाणिज्य संकाय में बी0काम0 पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2004 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

01. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - 2851 /सलर -2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2, जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा - निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेंगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्ण रूपेण परिपालन किया जा रहा है।
02. यदि संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपरोक्त स्वीकृति के अनुपालन में कुलापति जी द्वारा उपरोक्त महाविद्यालय को कार्यपरिपदे की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में गृह विज्ञान एवं चित्रकला विषयों में तथा वाणिज्य संकाय में बी0काम0 पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2004 से उपरोक्त शर्तों के अधीन सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

01. सहा0 कुलसचिव(परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. प्रभारी कमेंटी सैल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/९३
दिनांक : 21.03.2007

सचिव,
श्री द्रोणाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
दनकोर (गौतमबुद्ध नगर)

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स. 2979/जी.एस. दिनांक 15.02.2007 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन श्री द्रोणाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दनकोर (गौतमबुद्ध नगर) को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता सहित स्वयं चिन्तित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2006 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 03 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इत विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था राष्ट्रीय अभ्यासक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलेख में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार श्री द्रोणाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दनकोर (गौतमबुद्ध नगर) को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता सहित स्वयं चिन्तित योजना के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2006 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूचित है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

(एस० सी० मुप्ता)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-२, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनाय।
3. प्रभारी, कमेटी सेल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनाय प्रेषित।
4. प्रभारी, श्री द्रोणाचार्य विश्वविद्यालय को सूचनाय प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रवेशनियंत्रण) सेल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनाय प्रेषित।

Sanjeev Kumar Sharma
Advocate Noida
Reg No-6228
Distt. Gautam Budh Nagar

सचिव
(एस० सी० मुप्ता)
श्री द्रोणाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
दनकोर (गौतमबुद्ध नगर)